

**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**

बड़जलास - मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 01/2021

**प्रार्थी**  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**  
1गोपालराम मेघवाल पुत्र नारायण जाति मेघवाल  
निवासी गांव गुढा सेवरिया, वाया बावरा तहसील जेतारण जिला पाली।  
फर्म-रजा डेयरी एवं स्वीटस, नेन्हा बाजार मेडता।  
2कमरूदीन पुत्र गबरूदीन निवासी नेन्हा बाजार मेडता जिला नागौर।  
फर्म-रजा डेयरी एवं स्वीटस, नेन्हा बाजार मेडता।

**आदेश**

दिनांक :01.11.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26-08-2020 को मैसर्स रजा डेयरी एवं स्वीटस, नेन्हा बाजार, मेडता तहसील मेडता जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ दूध में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1322 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/257/एक्ट/2020/139 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना दूध सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण गोपाल राम मेघवाल पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी गांव गुढा सेवरिया, वाया बावरा, तहसील जेतारण जिला पाली व कमरूदीन पुत्र गबरूदीन निवासी नेन्हा बाजार, मेडता जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 16-12-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 05.08.2021 को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उसके बाद न्यायालय में अनपुस्थित रहे हैं।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/257/एक्ट/2020/139 दिनांक 02.09.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ दूध का नमूना Sub Standard होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 गोपाल राम मेघवाल पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी गांव गुढा सेवरिया, वाया बावरा, तहसील जेतारण जिला पाली पर रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी सं. 2 कमरूदीन पुत्र गबरूदीन निवासी नेन्हा बाजार, मेडता जिला नागौर पर रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये कुल रूपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर